



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272609
CG-DL-E-15052026-272609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 331]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(आईपीआर-स्थापना और बजट)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

विषय: - दिनांक 17 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सा.का.नि. 97 (अ) का शुद्धिपत्र।

सा.का.नि. 365(अ).—भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2011 (फाइल संख्या 08/16/2005) की सा.का. नि. 97 (अ) के माध्यम से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुच्छेद संख्या 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

दिनांक 17 फरवरी, 2011 फाइल संख्या 08/16/2005 की अधिसूचना के अन्य अंश अपरिवर्तित रहेंगे।

[फा. सं. पी. 24017/41/2025-आईपीआर-1]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(IPR-ESTABLISHMENT AND BUDGE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th May, 2026

Subject: - Corrigendum to Notification G S R 97(E) dated 17th February, 2011.

G.S.R. 365(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide G. S. R. 97 (E) dated 17th February, 2011 (File. No. 08/16/2005), Para No. 5 shall be substituted by the following:

“5. Power to relax- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.”

The other content of the notification dated 17th February, 2011 (File. No. 08/16/2005) will remain unchanged.

[F. No. P.24017/41/2025-IPR-1]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.